न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 14/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/41

वादी	बनाम	प्रतिवादी
केशरसिंह पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी सांभरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री अचलाराम थोरी,अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी अनुपस्थित।

:—निर्णयः—

दिनांक 10/03/2025

1.संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 359/123,360/123,361/128 कुल क्षेत्रफल 3.3912 हैक्टयर भूमि वादी की आवगी खातेदारी में अवस्थित है। वादग्रस्त आराजी में वादी का अशुद्व नाम केहराराम पुत्र पुनमाराम दर्ज हो रखा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम केशरसिंह पुत्र पुनमाराम है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में दायर अशुद्व प्रविष्टि केहराराम पुत्र पुनमाराम के स्थान पर सही नाम केशरसिंह पुत्र पुमनाराम इन्द्राज करवानें हेतु वाद—पत्र पेश किया गया है।

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी का सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया गया। वक्त बहस प्रतिवादी अनुपस्थित रहें।

3.प्रतिवादी की ओर से इकबाली जवाब पेश किए जाने के कारण विवाद के बिन्दु निहित नहीं होने के कारण वादी के वाद—पत्र में वांछित अनुतोष को ही तनकीयात मानी गई। वादी साक्ष्य में स्वंय वादी द्वारा लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किया। दस्तोवजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से 09

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गई।

4.हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 359/123,360/123,361/128 कुल क्षेत्रफल 3.3912 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। वादग्रस्त आराजी में वादी का वास्तविक नाम केशरसिंह के स्थान पर अशुद्व नाम केहराराम दर्ज हो रखा है। जिसके कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है तथा वादी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ नहीं मिल रहा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजा–ड्राईविग लाईसेन्स,आधार कार्ड,पेनकार्ड इत्यादि में वादी का नाम केशरसिंह दर्ज है,लेकिन विवादित आराजी में अशुद्व नाम दर्ज होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। वादी की ओर से अपनी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है कि वादी का वादग्रस्त आराजी में अशुद्व नाम दर्ज हो रखा है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम केहराराम पुत्र पुनमाराम के स्थान पर केशरसिह पुत्र पूनमाराम इन्द्राज किए जाने के आदेश किए जावें।

5.हमनें वादी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादी की आवंगी खातेदारी भूमि ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 359/123, 360/123,361/128 कुल क्षेत्रफल 3.3912 हैक्टयर अवस्थित है। जिसमें वादी का नाम केहराराम पुत्र पूनमाराम इन्द्राज होना बताया है। जबकि वादी की ओर से वाद के समर्थन में प्रदर्शित दस्तावेज संख्या 05 भारत का राजपत्र दिनांक 16 नवम्बर 2022, प्रदर्श–6 ड्राईविग लाईसेन्स प्रति,प्रदर्श–7 आधार कार्ड प्रति व प्रदर्श–8 आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड प्रति में वादी का नाम केशरसिंह पुत्र पुनमाराम दर्ज है। इससे प्रतीत होता है कि वादी का वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम प्रविष्टि हो रखी है। इसके साथ ही प्रतिवादी तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपने जवाब में स्वीकार किया है कि वादी का वादग्रस्त आराजी मे अशुद्व नाम प्रविष्टि हो रखी है,जो वादी का वाद स्वीकार किए जाने पर सहमति दी गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी का वादग्रस्त आराजी में अशुद्व नाम प्रविष्टि दर्ज हो रखी है,जो वादी अपना नाम शुद्व करवाने का हकदार है। वादी अपना वाद–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार योग्य है।

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादी वादग्रस्त भूमि में अपना अशुद्व नाम केहराराम पुत्र पुनमाराम के स्थान पर सही नाम केशरसिंह पुत्र पुनमाराम दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

–:निर्णय:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सांभरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 359/123, 360/123, 361/128 कुल क्षेत्रफल 3.3912 हैक्टयर भूमि में वादी का अशुद्ध नाम प्रविष्टि केहराराम पुत्र पुनमाराम के स्थान पर केशरसिंह पुत्र पुनमाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। डिकी पर्चा जारी हों। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 10/03/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

10/3/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 14/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/41

वादी	बनाम	प्रतिवादी
केशरसिंह पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी सांभरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः–88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–10.3.2025

वादी की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 10.3.2025 को श्री. अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सांभरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 359/123, 360/123, 361/128 कुल क्षेत्रफल 3.3912 हैक्टयर भूमि में वादी का अशुद्व नाम प्रविष्टि केहराराम पुत्र पुनमाराम के स्थान पर केशरसिंह पुत्र पुनमाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेंकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 10.3.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	–	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	———
जोड़	–	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा